न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 251/2021

कैलाश पुत्री पृथ्वीराज पत्नी महावीर जाति जाट निवासी ताखरांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. निमा देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 3 के. मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. अशोक कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 3 के. मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. बिमला पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 3 के. मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. उर्मिला पुत्री पृथ्वीराज पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. सुमन पुत्री पृथ्वीराज पत्नी हरीराम जाति जाट निवासी हरियासर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
6. संतोष पुत्री पृथ्वीराज पत्नी महावीर जाति जाट निवासी चुनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील सूरतगढ जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:49 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर पीलीबंगा, दिनांक [illegible] प्र.सं. 82/[illegible] अनवान कैलाश बनाम निमा देवी आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः–

श्री देवदत्त भिड़ासरा अभिभाषक अपीलार्थी,

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

श्री लोकेश शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2, 3, 5, 6

श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्टा ने अधीनस्थ न्यायल के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया जिसमें कथन कियाकि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 4 में वग्रित भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि है जस प्रार्थी का धरू बंटवारा के समय से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है। इसलिए प्रार्थीया प्रार्थना–पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि की घोषणा करवाने की अधिकारी है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थीया की माता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया की माता अप्रार्थी सं0 1 जो कि लगभग 82 वर्ष की वृद्ध महिला है तथा अक्सर बीमार रहती है और अप्रार्थी सं0 2 ने प्रार्थीया की माता को बंधक बना रखा है। अब वह प्रार्थीया की माता अप्रार्थीया सं0 1 को अपने चुंगल में लेकर प्रार्थीया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि को हर प्रकार से खुर्द बुर्द रहन बैय करने पर आमादा है। यदि वह अपने मनसूबों में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जावे। अप्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया एवं वादग्रस्त भूमि को स्वअर्जित भूमि होने का कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट/प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अपीलाधीन निर्णय के द्वारा खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:49 IST
Reason: SelfAttested

2. उभयपक्षकी बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट व उसकी बहनों का कब्जा मुताबिक घरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

घरू बंटवारा है। उकत तथ्य अपील में प्रस्तुत दस्तावेज जल संसाधन विभाग की रसीद वर्ष 2019 व 2020 जो अपीलाण्ट के नाम है व दस्तबरदारी दिनांक 19.04.2010 जो अपीलाण्ट व उसकी बहन उर्मिला, सुमन व संतोष द्वारा अपने भाई अशोक कुमार व बहन विमला के पक्ष में निष्पादित की है से यह साबित है कि पक्षकारों के मध्य घराघरू बंटवारा समझौता हुआ था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रर्थीया के पक्ष में है। वादग्रस्त भूमि स्व0 पृथ्वीराज के सेवा निवृत होने पर प्राप्त राशि व कृषि भूमि की आय से खरीद की गई थी। रेस्पोडेण्ट प्रार्थीया को बेदखल करने व भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करके प्रार्थीया को बेदखल करने भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने व रहन बैय करने पर उतारू है। आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रर्थना–पत्र स्वीकार किया जावे। आरआरटी 2014 (II) पेज 1165 यदि प्रकरण से संबंधित न्यायलाय में लम्बित कोई कार्यवाही की नकल या प्रकरण से सम्बन्धित कोई दस्तावेज अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में लिया है तो उसे रिकार्ड पर लेना चाहिए। वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की जायदाद है जिसमें किस पक्ष का कितना हक हिस्सा है यह विचाराधीन वाद में साक्ष्य के उपरान्त ही निर्धारित हो सकता है। ऐसे में भूमि की सुरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए। आरबीजे 2009 पेज 409 संयुक्त परिवार की भूमि में पुत्र पुत्री का जन्म से हिस्सा होता है इसलिए वाद के निर्णय तक रहन बैय से रोका जाना विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2012 पेज 26, आरबीजे 2006 पेज 405, आरबीजे 2015 पेज 299, आआरटी 2007 (II) पेज 813, डीएनजे 2021 (रेव) पेज 997, आरआरटी 2014 (II) पेज 1165, आरआरटी 2019 (I) पेज 619 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट ने तमाम तथ्य निराधार व झूठे अंकित किये हैं। रेस्पोडेण्ट [illegible] देवी शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ है व अपना भला बुरा सोचने में स्वयंम सक्षम है। प्रश्नगत भूमि रेसपोडेण्ट की खरीद शुदा भूमि है एवं खरीद के समय से ही कब्जा काश्त चली आ रही है व अपने कब्जा काश्त में स्वयं अंर्जित भूमि की पूर्ण स्वामी है, जिसे रहन बैय अन्तरण करने का रेस्पोडेण्ट को पूर्ण अधिकार है। अपीलाण्ट के पक्ष में किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन नहीं बनता है एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है। अपीलाण्ट का आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपील स्तर पर ग्राह्य नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलांट द्वारा अपील में प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां होने हैं। आरआरटी 2014 (II) पेज 1165 के अनुसार यदि प्रकरण से संबंधित न्यायालय में लंबित कार्यवाही की नकल या प्रकरण से सम्बन्धित कोई दस्तावेज अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है तो उसे रिकार्ड पर लेना चाहिए। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणति दस्तावेज है एवं प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेज अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पेश किये गये हैं, जो अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज हैं। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

7. जहां तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट नीमा देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलाण्ट ने जिसे संयुक्त परिवार की मेहनत व श्रम से अर्जित होना बताते हुऐ अपना हक हिसा होना बताया है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की जायदाद है या नहीं जिसमें किस पक्षकार का कितना हक हिससा है ये तथ्य साक्ष्य के बाद वाद में निर्धरित होना है और वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। आरबीजे 2019 पेज 299 में यह अभिनिर्धारित किया है कि वाद की बहुलता को राकने हेतु वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि को रहन बैय से रोकना आवश्यक है साथ ही आरआरटी 2007 पेज 813 के अनुसार पैतृक भूमि में सभी सह दायिकों का हिस्सा है, अधिकारों के निस्तारण हे वाद लम्बित है इसलिए रहन बैय करने से रोका जाना विधि सम्मत है एवं [illegible] 2021 II पेज 997 के अनुसार न्यायालय का यह दायित्व/कर्तव्य है कि वाद [illegible] निर्णय तक वादग्रस्त सम्पति की सुरक्षा की जावे। उपरोक्त तथ्यों न्यायिक दृष्टि के अलौक में चूंकि उभयपक्ष के मध्य प्रश्नगत भूमि में हक अधिकारों को लेकर विवाद है, जिसका निर्धारण मूल वाद में ही होना है, उभयपक्ष के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एवं वाद की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बहुलता को रोकने के लिए प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2021 निरस्त किया जाता है एवं अपीलांट का धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि रेस्पो0 सं0 1 निमा देवी के नाम दर्ज चक 5 टी.के.डब्ल्यू., खाता सं0 30 प. नं. 4/220 किला नं. 1 ता 20, 22 ता 25 की कुल 6.009 है0 भूमि में से 100 हिस्सा यानि 5 बीघा भूमि को ता फैसला वाद किसी भी तरह से रहन बैय या मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 23.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:49 IST
Reason: SelfAttested